

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-11 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/15/2007-अ.भा.से.-(I)

भारत सरकार


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 02.06, 2010

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर-त्रिपुरा और बिहार सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री पंकज कुमार पाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मणिपुर-त्रिपुरा : 02) का मणिपुर-त्रिपुरा के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से बिहार के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में, बिहार सरकार में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अन्तर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति का एतद्वारा अनुमोदन देती है।



(आर.के.गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)